04.05.22	विद्वान अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2022 के विरूद्व अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है। जबकि धारा 225 के तहत आदेश की अपील के प्रावधान निहित है, नाकि डिक्री की अपील के प्रावधान निहित है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत आदेश पारित किया गये है, जिसकी अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय होने से धारा 225 के तहत प्रस्तुत अपील मेंटेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य अपील है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा अपील के साथ डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि बिना डिक्री के अपील अपूर्ण अपील की परिभाषा में आती है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–02–2022 को पारित आदेश धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय होने से ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। धारा 223 के तहत डिक्री की अपील पोषणीय होती है, चूंकि अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त डिक्री पारित नहीं किये जाने की स्थिति में ही अपीलांट द्वारा उक्त अपील धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट् द्वारा धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2022 के साथ जारी डिक्री की प्रति प्रस्तुत की गई। जिससे साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मय डिक्री जारी किया गया है। जिसकी अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील संबंधित/सही धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रा[illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर